

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरौही

बड़जलास श्रीमती शकुंतला, आर.ए.एस

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

डूंगाराम पुत्र अमरारामजी जाति देवासी बनाम
निवासी कानाकोलर तह0 शिवगंज
जिला सिरौही

राजस्थान राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 42/2024

—:आदेश:—

दिनांक 02.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की राजस्व आराजी मौजा कानाकोलर के खसरा नं0 60 रकबा 0.6961 हैक्टर व खसरा नं0 62/2 रकबा 0.4047 हैक्टर भूमि की तरमीम वर्तमान में ऑनलाईन नक्शों में गलत रूप से की गई है व पुराना नक्शा लटठाट्रेस अनुसार भूमि की तरमीम सही रूप से थी। जिसे वर्तमान ऑनलाईन नक्शों में पुराना नक्शा लटठाट्रेस के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 को प्राप्त हुई।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत "खाता दुरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का बादला व भू.अ.नि. शिवगंज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शिवगंज की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कानाकोलर पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 60 रकबा 0.6961 हैक्टर व खसरा नं0 62/2 रकबा 0.4047 हैक्टर भूमि का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरुस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा जारी किया गया।



शकुंतला, B.S.
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)
शिवगंज

क्रमांक:-कोर्ट/2024/ 443
प्रतिलिपि:-

दिनांक 2-08-2024

तहसीलदार शिवगंज को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशानुसार राजस्थान रिकॉर्ड में अतिशीघ्र अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजवाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
शिवगंज (सिरौही)